प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा, जून, 2013 (प्रतिक्रिया, राहत एवं तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को समाहित किए हुये है। प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, पाँच जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों एवं पाँच रेखीय विभागों की फाईलों एवं अभिलेखों की जाँच से तैयार किया गया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से भी सूचना/आँकडें प्राप्त किए गये थे।

प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख है जो जून 2013 से मार्च 2014 की अवधि को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं आवश्यक था, सितम्बर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए, मार्च 2014 के पश्चात के दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप ही इस लेखापरीक्षा को सम्पन्न किया गया है।